छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 655/2007</u>

श्री राकेश चौबे,
मकान नं. 10/226,
सत्ती बाजार,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय – पंजीयक,
फर्म एवं संस्थाऐं,
अनुपम नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 16 जनवरी 2008)

श्री राकेश चौबे ने पंजीयक, फर्म एवं संस्थाऐं के द्वारा प्रथम अपील में पारित किए गए आदेश दिनांक 25.06.2007 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 13.03.2007 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, सहायक पंजीयक, फर्म एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तथा छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 30 एवं 31 के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय समिति, रायपुर से तीन बिन्दुओं पर जानकारी बुलाकर देने के लिए आवेदन दिया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय समिति, बाल आश्रम परिसर के द्वारा प्राप्त जानकारी अपीलार्थी को दी गई जिसमें कि समिति ने उल्लेख किया कि समिति को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम समिति पर प्रभावशील नहीं है अतः समिति जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (4) एवं 29, 30 एवं 31 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की।

3/ अपीलार्थी का आयोग के समक्ष मुख्य तर्क यह है कि जन सूचना अधिकारी को राष्ट्रीय विद्यालय समिति से जानकारी बुलाकर देना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया जिसमें कि यह मत व्यक्त किया गया है कि धारा 2–एफ के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को यदि किसी अधिनियम के अंतर्गत प्राईवेट संस्था का रिकार्ड बुलाने का अधिकार है तो सूचना के

अधिकार के अंतर्गत उसे बुलाया जाकर आवेदक को दिया जाना चाहिए। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी का तर्क यह है कि छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत उसी रिकार्ड को बुलाया जा सकता है जिसे कि अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, किसी अन्य अभिलेख को नहीं बुलाया जा सकता। इसी आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील निरस्त की।

4/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज)(2) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है जिसके कि अंतर्गत ऐसे गैरसरकारी संगठन जो कि समुचित सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई वित्तपोषित है लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आऐंगे। राष्ट्रीय विद्यालय समिति को शासन के द्वारा अनुदान मिलने अथवा वित्त पोषण के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त समिति को लोक प्राधिकारी नहीं माना जा सकता।

5/ जहां तक पंजीयन अधिनियम की धारा 30 एवं 31 का संबंध है, उसके अंतर्गत भी केवल वही अभिलेख पंजीयक सहकारी संस्थाओं को समिति से बुलाई जाने का अधिकार है जिन्हें कि अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी के द्वारा यह जानकारी चाही गई कि राष्ट्रीय विद्यालय समिति के द्वारा संचालित डागा कन्या महाविद्यालय हेतु जो साल्वेंसी विश्वविद्यालय में जमा की गई है वह जमीन किसकी है तथा विश्वविद्यालय की संबद्धता हासिल करने के लिए जिस जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, क्या वह जैतुसाव मठ की ओर से अधिकृत था। राष्ट्रीय विद्यालय समिति को शासन द्वारा 76,500 वर्गफीट जमीन मिली थी, वह कहां पर स्थित है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत धारा–27 एवं 28 में सोसायटी के द्वारा वार्षिक सूची, संपरीक्षा तथा निरीक्षण के रिपोर्ट सम्मिलित है। धारा–29 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत फीस देकर रजिस्ट्रार के पास फाईल किए गए समस्त दस्तोवजों या उनमें से किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा तथा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकेगा। धारा–31 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऐसे दस्तावेज को बुला सकता है जिसे कि अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। अपीलार्थी के द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए हैं वह इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय समिति शासन के द्वारा वित्तपोषित अथवा अनुदान प्राप्त संस्था सिद्ध न होने के कारण जन सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय विद्यालय समिति से जानकारी प्राप्त कर अपीलार्थी को देने के लिए बाध्य नहीं है।

6/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। उसमे किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त